

92

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(452)नविवि/3/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 20 MAR 2014

1. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त (राजस्थान)।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, जे0सी0टी0सी0एल, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, जे0एम0आर0सी0, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक आवास विकास लि0, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, रूफडिको, जयपुर।

विषय:- लोकसभा आम चुनाव 2014 - आदर्श आचार संहिता - सरकारी खर्च पर सरकार की उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि के प्रदर्शन पर निषेध बाबत।

संदर्भ:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग का पत्रांक प. 8(2)(12)निर्वा/2013/2181 दिनांक 6.3.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग का पत्रांक प. 8(2)(12)निर्वा/2013/2181 दिनांक 6.3.2014 मय संलग्नक की छाया प्रति प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देशों की पालना करते हुए इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय,


(जगजीत सिंह मोंगा)
उप शासन सचिव-द्वितीय